रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 2004/अग्रहायण 18, 1926

No. 542] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2004/AGRAHAYANA 18, 1926

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 801(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का क्रमांक 61) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से एतद्द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) संशोधन नियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981, जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है के नियम 4 के उप-नियम (2) में "अस्पतालों अथवा डिस्पेंसरियों" शब्दों के लिए "अस्पतालों, डिस्पेंसरियों अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाओं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियम के नियम 5 में निहित स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण :**

इस नियम के प्रयोजनार्थ "कालेजों", "विश्वविद्यालयों" तथा "अस्पतालों" नामक अभिव्यक्तियों में नियम 4 के उप-नियम (2) में यथा-उल्लिखित किसी कम्पनी, फर्म अथवा ट्रस्ट, जैसा भी मामला हो, द्वारा संस्थापित उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं अथवा अस्पताल अथवा विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं।"

4. उक्त नियम के नियम 8 में "अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी" शब्द के लिए "अस्पताल, डिस्पेंसरियां अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 20 में,—

(i) खण्ड (ख) में "अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी" शब्द के लिए "अस्पताल, डिस्पेंसरियां अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ङ) में निहित परन्तुक में "अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी" शब्दों के लिए "अस्पताल, डिस्पेंसरियां अथवा उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-13036/1/2004-डीडीवीए]

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 26 सितम्बर, 1981 को सं. सा.का.नि. 872 के तहत प्रकाशित किए गए थे, जो दिनांक 27-1-1989 के सं. सा.का.नि. 97, दिनांक 11-11-1991 के सं. सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 5-7-2002 के सं. सा.का.नि. 486(अ) तथा अंत में दिनांक 3-12-2002 के सं. सा.का.नि. 806(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2004

G.S.R. 801(E).—In exercise of the powers conferred by Section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authrity (Disposal of Developed Nazual Land) Amendment Rules, 2004.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub rule (2) of rule 4 of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazual Land) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "hospitals or dispensaries", the words, "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes", shall be substituted.

3. In rule 5 of the said rules, for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely :—

   "Explanation :—For the purposes of this rule the expression "colleges", "universities" and "hospitals" do not include higher/technical education institutes or hospitals or universities established by a company, firm or trust, as the case may be as referred to in sub-rule (2) of rule 4."

4. In rule 8 of the said rules, for the words "hospital or dispensary" the words, "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes" shall be substituted.

5. In rule 20 of the said rules,—

   (i) in clause (b), for the words "hospital or dispensary", the words "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes" shall be substituted;

   (ii) in clause (e), in the proviso, for the words "hospital or dispensary" the words "hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes" made shall be substituted.

[F. No. J-13036/1/2004/DDVA]

P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 872, dated the 26th September, 1981, amended *vide* number G.S.R. 97 dated the 27th January, 1989, number G.S.R. 677(E), dated the 11th November, 1991, number G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002 and lastly amended *vide* number G.S.R. 806(E), dated the 3rd December, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.